रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265887
CG-DL-E-02092025-265887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3894] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 3894] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

का.आ. 3999(अ).—केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में यथा उल्लिखित अधिकारी या प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या विचारण के दौरान, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट राशि (रकम) के भुगतान पर, उक्त अधिनियम के अधीन स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट अपराधों का शमन कर सकेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिनियम की धाराएं और अपराध	शमन की जाने वाली राशि (रकम)।	शमन हेतु अधिकारी या प्राधिकारी।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	21. कोई भी विदेशी जो इस अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम	पांच लाख रुपये	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>या आदेश या इसके अनुसरण में दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन करते हुए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रवेश के लिए वीज़ा अपेक्षित है, के बिना भारत में किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>23. जो कोई, -

(क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि के लिए रहता है जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य विधिमान्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अधीन किसी भाग में प्रवेश और प्रवास के लिए उसे जारी किए गए विधिमान्य वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है,

(ख) इस अधिनियम की धारा 17 और 19 से भिन्न किसी अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए निदेश या अनुदेश का उल्लंघन करता है या ऐसा आदेश या निदेश या अनुदेश, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है,

कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(i) विदेशियों द्वारा वीज़ा अवधि की विधिमान्यता से अधिक समय तक रुकना।</td>
<td><table>
<tr><td>अधिक ठहरने की अवधि</td><td>शमन की जाने वाली राशि (रकम)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(क) नीचे दिए गए (ख) और (ग) में उल्लिखित विदेशियों को छोड़ कर :</td></tr>
<tr><td>1 दिन से 30 दिन तक</td><td>दस हजार रुपये</td></tr>
</table></td>
<td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

तीस दिन तक अधिक रुकने की दशा में, आप्रवास चौकी पर आप्रवास अधिकारी या</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>31 दिन से 90 दिन तक</td><td>बीस हजार रुपये</td></tr>
<tr><td>91 दिन से 180 दिन तक</td><td>पचास हज़ार रुपये</td></tr>
<tr><td>181 दिन से एक वर्ष तक</td><td>एक लाख रुपये</td></tr>
<tr><td>एक वर्ष से अधिक</td><td>अधिकतम तीन लाख रुपए के अधीन रहते हुए दो लाख रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पचास हजार रुपये।</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">(ख) तिब्बत, मंगोलिया के बौद्ध भिक्षु और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक जो दीर्घकालिक वीज़ा अनुदत्त होने के लिए पात्र हैं:</td></tr>
<tr><td>1 दिन से 30 दिन तक</td><td>पचास रुपये</td></tr>
<tr><td>31 दिन से 90 दिन तक</td><td>एक सौ रूपये</td></tr>
<tr><td>91 दिन से 180 दिन तक</td><td>दो सौ रूपये</td></tr>
<tr><td>181 दिन से एक वर्ष तक</td><td>तीन सौ रुपये</td></tr>
<tr><td>एक वर्ष से अधिक</td><td>अधिकतम तीन लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पचास रुपये।</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ग) ऊपर (ख) के अंतर्गत न आने वाले अफगानिस्तान के नागरिक:</td></tr>
<tr><td>किसी भी अवधि के लिए</td><td>एक हज़ार रुपये</td></tr>
</table>
</td>
<td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ii) अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवास करने वाला कोई विदेशी।</td>
<td>
<table>
<tr><td>समाप्त हुए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की अवधि।</td><td>शमन की जाने वाली राशि (रकम)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(क) नीचे दिए गए (ख) में उल्लिखित विदेशियों को छोड़ कर :</td></tr>
</table>
</td>
<td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td>
</tr>
</table>

		1 दिन से 30 दिन तक	दस हजार रुपये	
		31 दिन से 90 दिन तक	बीस हजार रुपये	
		91 दिन से 180 दिन तक	पचास हजार रुपये	
		181 दिन से एक वर्ष तक	एक लाख रुपये	
		एक वर्ष से अधिक	अधिकतम तीन लाख रुपये के अधीन रहते हुए, दो लाख रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पचास हजार रुपये	
		(ख) तिब्बत, मंगोलिया के बौद्ध भिक्षु तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक, जो दीर्घकालिक वीज़ा अनुदत्त होने के लिए पात्र हैं:		
		1 दिन से 30 दिन तक	पचास रुपये	
		31 दिन से 90 एक दिन तक	सौ रूपये	
		91 दिन से 180 दिन तक	दो सौ रूपये	
		181 दिन से एक वर्ष तक	तीन सौ रुपये	
		एक वर्ष से अधिक	अधिकतम तीन लाख रुपये के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए पचास रुपये,	
	(iii) अधिनियम की धारा 6 या उसके अधीन बनाए गए नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए विदेशियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण न कराना।	गैर रजिस्ट्रीकरण अवधि की अवधि	शमन की जाने वाली राशि (रकम)।	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तीस दिन तक रजिस्ट्रीकरण न कराने की दशा में, अप्रवास चौकी पर आप्रवास अधिकारी या विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ।
		(क) नीचे (ख) में उल्लिखित से भिन्न विदेशियों को छोड़ कर :		
		1 दिन से 30 दिन तक	दस हजार रुपये	
		31 दिन से 90 दिन तक	बीस हजार रुपये	
		91 दिन से 180 दिन तक	पचास हजार रुपये	
		181 दिन से एक वर्ष तक	एक लाख रुपये	

		एक वर्ष से अधिक	अधिकतम तीन लाख रुपये के अधीन रहते हुए, दो लाख रुपये तथा गैर-रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास हज़ार रुपये।	
		(ख) तिब्बत, मंगोलिया के बौद्ध भिक्षु और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक जो दीर्घकालिक वीज़ा के अनुदत्त होने के लिए पात्र हैं:		
		1 दिन से 30 दिन तक	पचास रुपये	
		31 दिन से 90 दिन तक	एक सौ रूपये	
		91 दिन से 180 दिन तक	दो सौ रूपये	
		181 दिन से एक वर्ष तक	तीन सौ रुपये	
		एक वर्ष से अधिक	अधिकतम तीन लाख रुपये के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपये और गैर-रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये।	
	(iv) विदेशी को जारी विधिमान्य वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन, (क) किसी भी प्रवर्ग के वीज़ा पर (पर्यटक वीज़ा को छोड़ कर) ऐसे क्रियाकलापों में शामिल पाया गया हो [रोजगार लेने को छोड़ कर] जो विशिष्ट वीज़ा प्रवर्ग के अधीन अनुज्ञात नहीं हैं:	प्रत्येक मामले में पचास हज़ार रुपये।		विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
	(ख) पर्यटक वीज़ा पर ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त पाया गया हो [रोजगार लेने को छोड़ कर] जो पर्यटक वीज़ा के अधीन अनुज्ञात नहीं है;	प्रत्येक मामले में पचास हज़ार रुपये।		विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
	(ग) रोजगार वीज़ा को छोड़ कर किसी अन्य वीज़ा पर किसी संगठन या संस्थान में रोजगार लेना;	प्रत्येक मामले में तीन लाख रुपये।		विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
	(घ) किसी भी प्रवर्ग के वीज़ा पर या भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना	प्रत्येक मामले में तीन लाख रुपये।		विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

<table>
<tr><td></td><td>तबलीगी क्रियाकलापों, पत्रकारिता क्रियाकलापों और मिशनरी क्रियाकलापों में संलिप्त पाया गया हो; और</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ङ) वीज़ा शर्तों का कोई अन्य उल्लंघन जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है।</td><td>प्रत्येक मामले में पचास हजार रुपये।</td><td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(v) कोई विदेशी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 11 या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए प्राधिकारी से विशेष अनुमति के बिना किसी संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र या प्रतिषिद्ध स्थान पर जाता है या रहता है।</td><td><table>
<tr><td>बिना परमिट के रहने की अवधि.</td><td>शमन की जाने वाली राशि (रकम)</td></tr>
<tr><td>1 दिन से 30 दिन तक</td><td>पचास हजार रुपये</td></tr>
<tr><td>31 दिन से 90 दिन</td><td>पचहत्तर हजार रुपये</td></tr>
<tr><td>91 दिन से 180 दिन</td><td>एक लाख रुपये</td></tr>
<tr><td>181 दिन से एक वर्ष</td><td>दो लाख रुपये</td></tr>
<tr><td>एक वर्ष से अधिक</td><td>तीन लाख रुपये</td></tr>
</table></td><td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(vi) अधिनियम की धारा 8 या आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 के नियम 17 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए आवास के रखवाले द्वारा किसी आवास में विदेशियों के आवास के संबंध में जानकारी प्रस्तुत न करना।</td><td>प्रत्येक मामले में पचास हजार रुपये।</td><td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(vii) अधिनियम की धारा 9 या आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 के नियम 16 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान या शिक्षा के लिए विदेशियों को प्रवेश देने वाली किसी अन्य संस्था द्वारा प्रवेश दिए गए विदेशियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत न करना।</td><td>प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये।</td><td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(viii) अधिनियम की धारा 10 या आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 के नियम 18 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, ऐसी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाला कोई अन्य संस्थान इनडोर चिकित्सा उपचार ले रहे विदेशियों या उनके परिचारक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत न करना, जिनके लिए अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा</td><td>प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये।</td><td>विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।</td></tr>
</table>

	आवास या सोने की सुविधा प्रदान की गई है।		
	24. (1) जो कोई धारा 21, 22 या 23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो, तो वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उन अपराधों के लिए उपबन्धित है। (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,- (i) किसी कार्य या अपराध, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उकसावे के परिणामस्वरूप, या षडयंत्र के अनुसरण में, या उस सहायता से किया जाता है जिससे अपराध गठित होता है; (ii) "दुष्प्रेरण" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 45 के अधीन दिया गया है।	वही राशि (रकम) जो दुष्प्रेरित अपराध की होती है	विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 25022/11/2025-एफ.I]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2025

S.O. 3999(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby specifies the officer or authority as mentioned in column (4) of the Table, who may, before institution of any prosecution under the said Act or during trial, compound the offences under the said Act as specified in column (2) of the said Table, on payment of the sum (amount) as specified in column (3) of the said Table

TABLE

Sl. No.	Sections and offences of Act.	Sum (amount) to be compounded.	Officer or authority for compounding.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	21. Any foreigner who enters into any area in India without a valid passport or other travel document, including visa required for such entry in contravention of provisions of section 3 of this Act or of any rule or order made thereunder or any	Five lakh rupees.	Foreigners Regional Registration Officer.

<table>
<tr><td></td><td>direction given in pursuance thereof, shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to five lakh rupees or with both.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>23. Whoever, —
(a) being a foreigner, remains in any area in India for a period exceeding the period for which the visa was issued to him or stays in India without a valid passport or other valid travel document in contravention of provisions of section 3 or does any act in violation of the conditions of the valid visa issued to him for his entry and stay in India or any part thereunder;

(b) contravenes any other provisions of this Act, other than sections 17 and 19, or of any rule or order made thereunder or any direction or instruction given in pursuance of this Act or such order or direction or instruction for which, no specific punishment is provided under this Act,

shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine which may extend to three lakh rupees or with both.

(i) Overstay by foreigners beyond the validity of visa period.</td><td><table>
<tr><td>Duration of overstay.</td><td>Sum (amount) to be compounded.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(A) In case of foreigners other than those mentioned in (B) and (C) below:</td></tr>
<tr><td>1 day up to 30 days</td><td>Ten thousand rupees</td></tr>
<tr><td>31 days up to 90 days</td><td>Twenty thousand rupees</td></tr>
<tr><td>91 days up to 180 days</td><td>Fifty thousand rupees</td></tr>
<tr><td>181 days up to one year</td><td>One lakh rupees</td></tr>
<tr><td>More than one year</td><td>Two lakh rupees plus Fifty thousand rupees for each year of overstay subject to a maximum of three lakh rupees</td></tr>
</table></td><td>Foreigners Regional Registration Officer.

In case of overstay up to thirty days, the Foreigners Regional Registration Officer or the Immigration Officer at the immigration post.</td></tr>
</table>

		(B) Tibetans, Buddhist monks from Mongolia and categories of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan nationals who are eligible for grant of Long Term Visa:		
		1 day up to 30 days	Fifty rupees	
		31 days up to 90 days	One hundred rupees	
		91 days up to 180 days	Two hundred rupees	
		181 days up to one year	Three hundred rupees	
		More than one year	Five hundred rupees plus fifty rupees for each year of overstay subject to a maximum of three lakh rupees	
		(C) Afghanistan nationals not covered by (B) above:		
		For any period	One thousand rupees	
	(ii) A foreigner staying in India without a valid passport or other travel document in contravention of provisions of section 3 of the Act.	Duration of expired passport or other travel document.	Sum (amount) to be compounded	Foreigners Regional Registration Officer.
		(A) In case of foreigners other than those mentioned in (B) below:		
		1 day up to 30 days	Ten thousand rupees	
		31 days up to 90 days	Twenty thousand rupees	
		91 days up to 180 days	Fifty thousand rupees	
		181 days up to one year	One lakh rupees	
		More than one year	Two lakh rupees plus fifty thousand rupees for each additional year subject to a maximum of three lakh rupees	
		(B) Tibetans, Buddhist monks from Mongolia and categories of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan nationals who are eligible for grant of Long Term Visa:		
		1 day up to 30 days	Fifty rupees	
		31 days up to 90 days	One hundred rupees	
		91 days up to 180 days	Two hundred rupees	
		181 days up to one year	Three hundred rupees	
		More than one year	Five hundred rupees plus fifty rupees for each additional year subject to a maximum of three lakh rupees	
	(iii) Non-registration by foreigners violating provisions of section 6 of	Duration of non-registration	Sum (amount) to be compounded.	Foreigners Regional

<table>
<tr>
<td></td>
<td>the Act or rule or Order made thereunder.</td>
<td>
<table>
<tr><td>period.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(A) In case of foreigners other than those mentioned in (B) below:</td></tr>
<tr><td>1 day up to 30 days</td><td>Ten thousand rupees</td></tr>
<tr><td>31 days up to 90 days</td><td>Twenty thousand rupees</td></tr>
<tr><td>91 days up to 180 days</td><td>Fifty thousand rupees</td></tr>
<tr><td>181 days up to one year</td><td>One lakh rupees</td></tr>
<tr><td>More than one year</td><td>Two lakh rupees plus Fifty thousand rupees for each year of non-registration subject to a maximum of three lakh rupees</td></tr>
<tr><td colspan="2">(B) Tibetans, Buddhist monks from Mongolia and categories of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan nationals who are eligible for grant of Long Term Visa:</td></tr>
<tr><td>1 day up to 30 days</td><td>Fifty rupees</td></tr>
<tr><td>31 days up to 90 days</td><td>One hundred rupees</td></tr>
<tr><td>91 days up to 180 days</td><td>Two hundred rupees</td></tr>
<tr><td>181 days up to one year</td><td>Three hundred rupees</td></tr>
<tr><td>More than one year</td><td>Five hundred rupees plus fifty rupees for each year of non-registration subject to a maximum of three lakh rupees</td></tr>
</table>
</td>
<td>Registration Officer.

In case of non-registration up to thirty days, the Foreigners Regional Registration Officer or the Immigration Officer at the immigration post.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(iv) Violation of the conditions of the valid visa issued to the foreigner, —
(a) on any category of visa (other than Tourist visa) found involved in activities [other than taking up employment] which are not permitted under the particular visa category;</td>
<td>Fifty thousand rupees in each case.</td>
<td>Foreigners Regional Registration Officer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(b) on Tourist visa found involved in activities [other than taking up employment] which are not permitted under Tourist visa;</td>
<td>Fifty thousand rupees in each case.</td>
<td>Foreigners Regional Registration Officer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(c) taking up employment in an organisation or institution on a visa other than Employment visa;</td>
<td>Three lakh rupees in each case.</td>
<td>Foreigners Regional Registration Officer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(d) on any category of visa or holding Overseas Citizen of India card found involved in tabligh activities, journalistic activities and missionary activities without prior permission of the authority as may</td>
<td>Three lakh rupees in each case.</td>
<td>Foreigners Regional Registration Officer.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>be specified by the Central Government; and</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(e) any other violation of visa conditions which are not specified above.</td><td>Fifty thousand rupees in each case.</td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
<tr><td></td><td>(v) A foreigner visiting or staying in a Protected area or Restricted area or Prohibited place without the special permit from the authority in contravention of the provisions of section 11 of the Act or of any Order made thereunder.</td><td><table>
<tr><td>Period of stay without permit.</td><td>Sum (amount) to be compounded.</td></tr>
<tr><td>1 day up to 30 days</td><td>Fifty thousand rupees</td></tr>
<tr><td>31 days to 90 days</td><td>Seventy five thousand rupees</td></tr>
<tr><td>91 days to 180 days</td><td>One lakh rupees</td></tr>
<tr><td>181 days to one year</td><td>Two lakh rupees</td></tr>
<tr><td>More than one year</td><td>Three lakh rupees</td></tr>
</table></td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
<tr><td></td><td>(vi) Non-submission of information in respect of foreigners accommodated in an accommodation by the keeper of the accommodation in contravention of the provisions of section 8 of the Act or rule 17 of the Immigration and Foreigners Rules, 2025.</td><td>Fifty thousand rupees in each case.</td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
<tr><td></td><td>(vii) Non-submission of information in respect of foreigners admitted by a University or Educational Institution or any other institution admitting a foreigner for education in contravention of the provisions of section 9 of the Act or rule 16 of the Immigration and Foreigners Rules, 2025.</td><td>One lakh rupees in each case.</td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
<tr><td></td><td>(viii) Non-submission of information in respect of foreigners taking indoor medical treatment or their attendant for whom lodging or sleeping facility has been provided by a hospital, nursing home or any other such medical institution providing such facility in contravention of the provisions of section 10 of the Act or rule 18 of the Immigration and Foreigners Rules, 2025.</td><td>One lakh rupees in each case.</td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>24. (1) Whoever abets any offence punishable under sections 21, 22 or 23 shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, be punishable with the same punishment as provided for those offences.

(2) For the purposes of this section,-</td><td>Same sum (amount) as that of an offence abetted.</td><td>Foreigners Regional Registration Officer.</td></tr>
</table>

	(i) an act or offence is said to be committed in consequence of the abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the offence; (ii) the expression "abetment" shall have the same meaning as assigned to it under section 45 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).		

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 25022/11/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.02 15:13:11 +05'30'